उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19–सी, विधानसभा मार्ग

लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना / विज्ञप्ति

रिट याचिका संख्या 5158 / 2015 अभिषेक कुमार सिंह व 03 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ के आदेश दिनांकित 24–08–2016 तथा इस आदेश के विरूद्ध योजित विशेष अपील संख्या 444 / 2016 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम अभिषेक कुमार सिंह व 16 अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 06–04–2017 के कम में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा–2011 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत मुख्य लिखित परीक्षा का नये सिरे से चयन परिणाम घोषित किया जाना।

संख्याःपीआरपीबीःअनु–6–प–01 / 2015(भाग–8)   दिनांकः जून 6 ,2017

1– उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा–2011 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 3698 एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के 312 पदों को भरे जाने हेतु बोर्ड द्वारा सूचना / विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबी–एक–1 / 2011 दिनांकित 19–05–2011 प्रकाशित की गयी थी। इस भर्ती प्रक्रिया में **शारीरिक मानक परीक्षा, प्रारम्भिक लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, समूह परिसंवाद एवं चयन सूची** के प्रकम निर्धारित थे।

2.1– इस भर्ती प्रक्रिया में बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना / विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबीः अनु–6–प–1 / 2015 दिनांकित 16 मार्च, 2015 के द्वारा चयन परिणाम घोषित किया गया था जो कि रिट याचिका संख्याः 67782 / 2014 साकेत कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अन्तिम निर्णय के अधीन था।

2.2– रिट याचिका संख्याः 67782 / 2014 साकेत कुमार व 03 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा इससे सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29–05–2015 के अनुपालन में मुख्य लिखित परीक्षा में ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में ह्वाइटनर / ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को हटाते हुए नये सिरे से चयन परिणाम बोर्ड की सूचना / विज्ञप्ति संख्याःपीआरपीबीः अनु–6–प–1 / 2015 दिनांकः 25 जून, 2015 के द्वारा घोषित किया गया था।

2.3– बोर्ड की सूचना / विज्ञप्ति संख्याःपीआरपीबीः अनु–6–प–1 / 2015 दिनांकः 25 जून, 2015 के द्वारा घोषित चयन परिणाम के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या 37599 / 2015 आशीष कुमार पाण्डेय व 24 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 29 अन्य तथा रिट याचिका संख्याः 5158 / 2015 अभिषेक कुमार सिंह व 3 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी थी।

2.4— स्पेशल लीव पिटीशन संख्या: 21843—21844/2015, हनुमान दत्त शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2016 को दिये गये निर्णय के कम में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा—2011 की चयन प्रक्रिया में मुख्य लिखित परीक्षा में ह्वाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने के कारण चयन से बाहर हुए 808 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी:अनु—6—प—1/2015(पार्ट फाइल) दिनांक: 21 मई, 2016 के द्वारा घोषित किया गया था।

3.1— रिट याचिका संख्या 37599/2015 आशीष कुमार पाण्डेय व 24 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 29 अन्य में पारित आदेश दिनांकित 16—03—2016 तथा इस आदेश के विरूद्ध योजित विशेष अपील संख्या: 338/2016 उत्तर प्रदेश राज्य व 02 अन्य बनाम आशीष कुमार पाण्डेय व 58 अन्य में पारित आदेश दिनांक 29—07—2016 के कम में बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी: अनु—6—प—1/2015(पार्ट फाइल) दिनांक: 29 नवम्बर, 2016 के द्वारा संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया।

3.2— इसी आधार पर स्पेशल लीव पिटीशन संख्या: 21843—21844/2015, हनुमान दत्त शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2016 को दिये गये निर्णय के कम में मुख्य लिखित परीक्षा में ह्वाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने के कारण चयन से बाहर हुए अभ्यर्थियों का पुनरीक्षित चयन परिणाम भी बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी:अनु—6—प—1/2015(पार्ट फाइल) दिनांक: 05 दिसम्बर, 2016 के द्वारा घोषित किया गया।

3.3— ये चयन परिणाम रिट याचिका संख्या 5158/2015 अभिषेक कुमार सिंह व 03 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ के निर्णय दिनांक 24—08—2016 के विरूद्ध योजित विशेष अपील संख्या: 444/2016 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम अभिषेक कुमार सिंह व 16 अन्य के निर्णय के अधीन थे।

4.1— विशेष अपील संख्या: 444/2016 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम अभिषेक कुमार सिंह व 16 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06—04—2017 में रिट याचिका संख्या: 5158/2015 अभिषेक कुमार सिंह व 3 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24—08—2016 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पायी गयी है।

4.2— रिट याचिका संख्या: 5158/2015 अभिषेक कुमार सिंह व 3 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश इस प्रकार है:—

> 'The Selection in question from the stage of declaration of result of the main written examination including the impugned select list is not sustainable and is quashed. The concerned opposite parties are directed to prepare the

result of main written examination and declare the same afresh keeping in mind the observations made hereinabove. Based thereon the selection shall proceed and shall be finalised in accordance with the rules and observations made in the body of the Judgement as also in the case of Ashish Kumar Pandey.'

4.3– रिट याचिका संख्या 5158/2015 अभिषेक कुमार सिंह व 3 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां (observations) इस प्रकार है:–

(1)- The rounding off marks who had secured less than 50% marks allowed ineligible person to appear at the next stage of selection contrary to Rules thereby vitiating the selection. Those who had secured less than 50% marks in the Preliminary Written Test are liable to be excluded from consideration for selection/appointment.

(2)- To apply horizontal reservation in the light of the observations/directions contained in this Judgement and in Ashish Kumar Pandey.

(3)- Calling of candidates in excess of three-time the vacancies for the purpose of Group Discussion was violative of rule 15(f). Those in excess of the maximum permissible limits after the fresh excercise as aforesaid are to be ousted from further consideration for selection.

(4)- The contention with regard to question no.2 was regarding situations in which a Presidential Ordinance can be promulgated. Presence of one House really does not satisfy the situation at all. There is merit in the contention of the petitioner the Board shall revisit this issue and take remedial action in accordance with past practice in consonance with law.

(5)- As per Note-1 to Rulse 15(g) of the Rules 2008 Vediography of Group Discussion and preparation of CD in this regard is prescribed, therefore, this should be strictly adhered to while holding the Group Discussion afresh.

5.1– अतः मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों एवं टिप्पणियों (observations) के क्रम में सूचित किया जाता है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा–2011 की भर्ती प्रक्रिया के

अन्तर्गत प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में कुल–200 अंकों के सापेक्ष बिना पूर्णांकित (rounding off) 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 47536 एवं पूर्णांकित (rounding off) के उपरान्त 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 1564 अभ्यर्थी चिन्हित किये गये है जिन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया गया था।

5.2– प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में कुल–200 अंकों के सापेक्ष पूर्णांकित (rounding off) के उपरान्त 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले इन 1564 चिन्हित अभ्यर्थियों को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित करते हुए इन्हें चयन प्रकिया से हटाये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है। इन 1564 अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है।

5.3– शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 15777 अभ्यर्थी सफल हुए थे जिसमे प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में पूर्णांकित (rounding off) के उपरान्त 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 422 अभ्यर्थी शामिल थे। इनमें से मुख्य लिखित परीक्षा में 15295 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे जिसमें प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में पूर्णांकित (rounding off) के उपरान्त 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 416 अभ्यर्थी शामिल थे।

5.4– अतः इन 416 अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा की प्रक्रिया से हटाते हुए 14879 अभ्यर्थियो के **प्रथम प्रश्नपत्र** के ओएमआर उत्तर पत्रक के पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में विशेषज्ञ समिति का गठन कर उसकी संस्तुतियों के अनुसार मास्टर प्रश्न पुस्तिका के **प्रश्न संख्या: 01** के उत्तर **विकल्प–सी के स्थान पर विकल्प–डी को उचित उत्तर मानकर की गयी है।** पुनर्मूल्यांकन के पश्चात मुख्य लिखित परीक्षा में 953 अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त न करने के कारण भर्ती के लिए पात्र नहीं पाये गये तथा 13926 अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र पाये गये।

5.5– पुनर्मूल्यांकन के पश्चात भर्ती के लिए पात्र पाये गये इन 13926 अभ्यर्थियों के मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में आरक्षण अधिनियम–1994 की धारा 3(6) एवं आशीष कुमार पाण्डेय के मामले में क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के आलोक में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 3698 एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के 312 कुल 4010 विज्ञापित पदों की श्रेणीवार रिक्तियों के 03 गुना कुल 12030 के सापेक्ष उपलब्ध 10137 अभ्यर्थी समूह परिसंवाद हेतु चयनित किये गये है। समूह परिसंवाद हेतु चयनित अभ्यर्थियों के श्रेणीवार विवरण निम्नवत है:–

लम्बवत श्रेणी	रिक्तियों का 03गुना	चयनित अभ्यर्थी	क्षैतिज श्रेणी		
			स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	महिला(केवल उ0नि0 ना0पु0 के लिए)
अनारक्षित (सामान्य)	6015	6015	34	14	155
अन्य पिछड़ा वर्ग	3246	3246	16	05	154
अनुसूचित जाति	2529	856	01	0	10
अनुसूचित जनजाति	240	20	0	0	0
कुल	**12030**	**10137**	**51**	**19**	**319**

5.6– अनुसूचित जाति श्रेणी एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के फलस्वरूप 03 गुना अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षित श्रेणी में उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण 03 गुना अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए।

6.1– समूह परिसंवाद हेतु चयनित अन्तिम अभ्यर्थी के श्रेणीवार कटआफ मार्क्स निम्नवत हैः–

लम्बवत श्रेणी	पुरूष	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	महिला (केवल उ0नि0ना0पु0 के लिए)
अनारक्षित (सामान्य)	294.75*	252.1667	261.5833	230.25
अन्य पिछड़ा वर्ग	266.8333**	230.1667	253.0833	221.3333
अनुसूचित जाति	208.00	238.3333	***	228.1667
अनुसूचित जनजाति	226.4167	***	***	***

6.2– *अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी में कटआफ मार्क्स 294.75 पर उपलब्ध 10 अभ्यर्थियों में से सामान्य वर्ग का 01 अभ्यर्थी (सूची संलग्न) टाईब्रेक नियम (जन्म तिथि) के आधार पर चयनित नहीं हुआ।

6.3– अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में कटआफ मार्क्स 266.8333 पर उपलब्ध 12 अभ्यर्थियों में से 10 अभ्यर्थी (सूची संलग्न) टाईब्रेक नियम (जन्म तिथि) के आधार पर चयनित नहीं हुए।

6.4– *** अनुसूचित जाति श्रेणी एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण के अधीन उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए।

7– अतएव, मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों एवं टिप्पणियों (observations) के क्रम में तदनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा–2011 की भर्ती प्रक्रिया में मुख्य लिखित परीक्षा का चयन परिणाम नये सिरे से घोषित कर दिया गया है जो कि बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर दिनांक 14–06–2017 से उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक व जन्मतिथि डालकर इसे देख सकते है।

8.1– चयनित 10137 अभ्यर्थियों की समूह परिसंवाद की प्रक्रिया नये सिरे से उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों मुख्यालय, महानगर लखनऊ में दिनांक 27 जून, 2017 से प्रारम्भ होकर दिनांक 15–07–2017 को समाप्त होगी।

8.2– समूह परिसंवाद हेतु प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर दिनांक 14–06–2017 से उपलब्ध होगें। पोस्ट आफिस के माध्यम से भी दिनांकः 20–06–2017 तक प्रवेश पत्र प्रेषित कर दिये जायेंगे।

8.3– अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रवेश पत्र के साथ निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि व समय पर अनुपस्थित होने पर उन्हें पुनः कोई अन्य अवसर नहीं मिलेगा।

8.4– मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में समूह परिसंवाद की प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ होने के फलस्वरूप प्रश्नगत भर्ती प्रक्रिया में पूर्व में सम्पन्न 14256 अभ्यर्थियों की समूह परिसंवाद की प्रक्रिया मूलतः अविधिमान्य (Void Ab Intio) हो जायेगी।

9– यद्यपि इस चयन परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर इस त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा।

10– यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

6/6/17

अपर सचिव, भर्ती,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।